न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर०एम०ए० वाद सं०–04 / 2022–23

इकसू अंसारी
बनाम
जाकीर मियाँ एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
17.03.2023	**आदेश** यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता इकसू अंसारी (2) साहीद अंसारी (3) जमाल अंसारी (4) सलामत अंसारी सभी का पिता–स्व0 रहमान अंसारी (5) हैदर अंसारी (6) मतबर अंसारी (7) बाबर अंसारी क्र0सं0 05 से 07 तक का पिता–स्व0 शाहजहाँ अंसारी, सभी का सा0–बलियाडंगाल, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के RER वाद सं0–38/2017-18 में दिनांक 18.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) जाकीर मियाँ, पिता–स्व0 इस्माईल मियाँ (2) ताहीर मियाँ, पिता–स्व0 हमालुद्धीन मियाँ दोनों का सा0–मोहनपुर (कुसमाटोला), थाना–हिरणपुर, वर्त्तमान पता सा0–बलियाडंगाल, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ एवं (3) झारखण्ड राज्य को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि अंचल महेशपुर के मौजा–बलियाडंगाल न0–96 के जमाबन्दी सं0–27 अन्तर्गत दाग सं0–103/2178 अन्तर्गत रकवा 02-01-03 धुर जमीन से इस वाद के उत्तरवादी स0–01 एवं 02 को उच्छेद करने हेतु इस वाद के अपीलकर्त्तागण द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर RER वाद सं0–38/2019-2020 संस्थित करते हुए सुनवाई की गई एवं दिनांक 18.07.2022 को पारित आदेश द्वारा उच्छेदी संबधी दाखिल आवेदन को खारिज किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि अंचल महेशपुर के मौजा बलियाडंगाल नं0–96 का जमाबन्दी सं0–27 विगत सर्वे खतियान में जीतु मियाँ व मातु मियाँ, पिता–सफूर मियाँ, अहमादी मियाँ, पिता–जुमन मियाँ, मदारी मियाँ पिता–मनावत मियाँ तथा इम्ब्राहिम मियाँ, पिता–हादी मियाँ के नाम से दर्ज है। उक्त पाँच खतियानी रैयतों में से मदारी मियाँ एवं इब्राहम मियाँ की नावल्द मृत्यु हो गई। अतः मदारी मियाँ एवं इब्राहिम मियाँ की सम्पति शेष खतियानी रैयतों द्वारा भोग दखल किया जाने लगा। अपीलकर्त्तागण खतियानी रैयत	

Scanned by CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

जीतु मियाँ, मातु मियाँ एवं अहमदी मियाँ के वंशज है। उत्तरवादी स0–01 एवं 02 का खतियानी रैयत से कोई सम्बध नहीं है। वे बाहरी व्यक्ति है। उत्तरवादी द्वारा अवैध तरीके से प्रश्नगत दाग सं0–103/2178 की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में भी इब्राहिम मियाँ को नावल्द मृत बताया गया है। उत्तरवादी इब्राहिम मियाँ के वंशज नहीं है तथा उनके द्वारा दाखिल निर्वाचक नामावली बनावटी है, जिसकी कानून के तहत कोई मान्यता नहीं है। निर्वाचक नामावली में भी इब्राहिम मियाँ का नाम दर्ज नहीं है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि इब्राहिम मियाँ के पिता–हादी मियाँ है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय को उपलब्ध कागजातों/जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उच्छेदी का आदेश पारित करना चाहिए था। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी स0–01 एवं 02 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–27 विगत सर्वे खतियान में जीतु मियाँ, मातु मियाँ, आहमदी मियाँ, मदारी मियाँ एवं इब्राहिम मियाँ के नाम से दर्ज है। खतियान में सभी खतियानी रैयतों का दखल अलग–अलग दर्शाया गया है। प्रश्नगत दाग सं0–103/2178 इब्राहिम मियाँ के नाम से दखल दर्शाया गया है। इस प्रकार दाग सं0–103/2178 अन्तर्गत भूमि खतियानी रैयत इब्राहिम मियाँ की हुई। इब्राहिम मियाँ के एक मात्र पुत्र इस्माईल मियाँ हुए तथा इस्माईल मियाँ के छः पुत्र हैमालुद्धीन मियाँ, अलाउद्धीन मियाँ (मृत) सहाबुद्धीन मियॉ, सेराजुद्धीन मियॉ (मृत), सेखावत मियॉ (मृत) तथा जाकीर मियाँ हुए। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर है। जो गलत एवं बनावटी है। वर्ष 1988 के महेशपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में इब्राहिम मियाँ के पुत्र इस्माईल मियाँ एवं अन्य भाईयो का नाम दर्ज है। जो प्रमाणित करता है कि खतियानी रैयत इब्राहिम मियाँ के पुत्र इस्माईल मियाँ है। खतियानी रैयत मोहम्मद अली मियाँ एवं मातु मियाँ के वंशजों के द्वारा भी शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया है कि इब्राहिम मियाँ की मृत्यु नावल्द नहीं हुई थी। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख, दाखिल कागजातों, निम्न न्यायालय के आदेश आदि का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। मूल विवाद खतियानी रैयत इब्राहिम मियाँ के नावल्द मृत्यु होने अथवा नहीं होने के संबध में है। उत्तरवादी द्वारा दाखिल शपथ पत्र

Scanned by CamScanner

...श की कम ...ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

तथा वर्ष 1988 का महेशपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इब्राहिम मियाँ के पुत्र इस्माईल मियाँ थे तथा इस्माईल मियाँ के पुत्र जाकीर हुसैन, हेमालुद्धीन मियाँ, अलाउद्धीन मियाँ, साबुद्धीन मियाँ, सिराजुद्धीन मियाँ एवं शेखावत मियाँ है। अपीलकर्त्ता यह प्रमाणित नहीं कर सके कि उक्त इब्राहिम मियाँ के पिता–हादी मियाँ नहीं बल्कि कोई और है। अतः उनका यह दावा कि उक्त इब्राहिम मियाँ हादी मियाँ के पुत्र नहीं है, साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा केवल अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर भरोसा किया जा रहा है जिसमें यह अंकित है कि ग्रामीणों से पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि इब्राहिम मियाँ की नावल्द मृत्यु हुई थी। परन्तु ग्रामीणों का बयान दर्ज नहीं है। न ही ग्रामसभा कर वंशावली बनाये जाने का प्रमाण है। ग्रामीणों में से ही कुछ के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह कहा गया है कि इब्राहिम मियाँ की मृत्यु नावल्द नहीं हुई थी। अतः अपीलकर्त्ता के दावे को स्वीकर नहीं किया जा सकता है। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/3/23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

17/3/23

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.27 15:40:13 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8fd:284e:3557:aac1

Scanned by CamScanner